राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
35वीं बैठक - दिनांक : 22 नवम्बर, 2010 के कार्य बिंदु

कार्य बिंदु संख्या - 1

प्रमुख सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन ने संबंधित बैंकों से पुनः अनुरोध किया कि सभी बैंकिंग सुविधारहित अटल आदर्श ग्राम एवं 2000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में मूलभूत बैंकिंग सेवाएं शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करवाएं क्योंकि अभी तक इसकी प्रगति अपेक्षाकृत बहुत कम है और इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। सभी बैंक इस आशय की प्रगति से मासिक अंतराल पर एस.एल.बी.सी. को अवगत कराएं।

(कार्रवाई - संबंधित बैंक नियंत्रक)

कार्य बिंदु संख्या - 2

राज्य सरकार एवं बी.एस.एन.एल. से अनुरोध है कि इन ग्रामों (अटल आदर्श ग्राम एवं 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँव) में ब्रॉड बैण्ड / जी.पी.आर.एस. की सुविधा उपलब्ध करवाने की शीघ्र कार्रवाई करें।

(कार्रवाई - मुख्य महाप्रबंधक, बी.एस.एन.एल. / वित्त विभाग, राज्य सरकार)

कार्य बिंदु संख्या - 3

मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि राज्य के पहाड़ी जिलों का ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने हेतु सभी जिलाधिकारी, नाबार्ड एवं अग्रणी जिला प्रबंधक आपस में बैठक कर रणनीति तैयार करें और निर्देशित किया कि ब्लाक स्तर पर क्रेडिट कमेटी गठित कर, उस क्षेत्र के विकास हेतु संभावित कार्ययोजना (Action Plan) तैयार कर लागू करें ताकि इन जिलों का ऋण-जमा अनुपात वांछित स्तर तक बढ़ सके। अग्रणी जिला प्रबंधक इस कार्ययोजना से एस.एल.बी.सी. को अवगत कराएं ताकि आगामी बैठक में प्रस्तुत की जा सके।

(कार्रवाई - जिलाधिकारी / नाबार्ड / अग्रणी जिला प्रबंधक)

कार्य बिंदु संख्या - 4

मुख्यमंत्री महोदय ने उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (के.बी.आई.बी.) को निर्देशित किया कि क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध कच्चा माल आधारित समूहों में छोटे-छोटे कुटीर उद्योग (हैण्डीक्राफ्ट, सोविनियर के सामान, अचार, पापड़ आदि) स्थापित करने हेतु कार्ययोजना (Action Plan) बनाकर कार्यान्वित करें। इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण विभाग से भी परामर्श किया जाए।

(कार्रवाई - के.वी.आई.बी. / खाद्य प्रसंस्करण विभाग)

कार्य बिंदु संख्या - 5

मुख्यमंत्री महोदय ने उद्यान विभाग को निर्देशित किया कि जड़ी-बूटी के कृषिकरण हेतु चयनित किए गए 300 क्लस्टर / ग्रामों की सूची बैंकों और अग्रणी जिला प्रबंधकों को उपलब्ध कराएं ताकि चुनिन्दा जड़ी-बूटी की खेती के लिए इच्छुक कृषकों को बैंक ऋण प्रदान कर सकें। उन्होंने निदेशक, हर्बल रिसर्च एण्ड डेवलॉप्मेन्ट इन्स्टीट्यूट (HRDI), गोपेश्वर को निर्देशित किया कि वह कृषकों को जड़ी-बूटी के कृषिकरण हेतु प्रशिक्षण एवं प्लांटिंग मैटिरियल प्रदान करें।

(कार्रवाई - निदेशक, एच.आर.डी.आई. / अग्रणी जिला प्रबंधक)

कार्य बिंदु संख्या - 6

मुख्यमंत्री महोदय ने निदेशक (उद्योग) को पुनः निर्देशित किया कि (यह कार्य बिंदु पिछली दो बैठकों में भी प्रस्तुत किए गए थे) राज्य में छोटे उद्योग लगाने की आवश्यकताओं को देखते हुए, प्रत्येक जिला उद्योग केंद्र से जिला स्तर पर क्लस्टर आधारित छोटे-छोटे उद्योग लगाने की योजना शीघ्र तैयार करवा कर उनके आवेदन बैंकों को ऋण प्रदान करने हेतु शीघ्र प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री महोदय ने इस कार्य में विलम्ब होने पर असंतोष प्रकट किया।

(कार्रवाई - निदेशक, उद्योग / जिला उद्योग केंद्र)

कार्य बिंदु संख्या - 7

मुख्यमंत्री महोदय ने एफ.आर.डी.सी. को निर्देशित किया कि शेष **सात जिलों (टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, बागेश्वर व चम्पावत) में आरसेटी** हेतु आवासीय भवन के निर्माण के लिए 15 दिन के अंदर समुचित भूमि आवंटित / हस्तांतरित कराने की व्यवस्था करें। संबंधित बैंक निदेशक (आरसेटी), जिलाधिकारी से संपर्क कर इस प्रकरण में तीव्रता लाए।

(कार्रवाई - एफ.आर.डी.सी. / निदेशक, आरसेटी)

कार्य बिंदु संख्या - 8

प्रमुख सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन ने निदेशक (कृषि) को निर्देशित किया कि आगामी दो वर्षों में योजनाबद्ध एक विशेष अभियान चलाकर सभी पात्र कृषकों को संबंधित बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाएं ताकि इस दिशा में संतृप्ति (Point of saturation) प्राप्त किया जा सके। इसी क्रम में शेष अऋणी कृषकों की जिलेवार / ग्रामवार सूची **अग्रणी जिला प्रबंधकों को उपलब्ध कराएं** ताकि सूची अनुसार संबंधित बैंक किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर सकें।

कार्य बिंदु संख्या - 9

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सदन को अवगत कराया कि आर.बी.आई. के निर्देशानुसार, एस.एल.बी.सी. बैठक को अधिक प्रभावी बनाने में संयोजक बैंक के अतिरिक्त अन्य बैंकों की भी प्रमुख भूमिका होती है। अतः सभी बैंक अपनी सफलताओं एवं उपलब्धियों को आगामी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की बैठक के एजेण्डा में सम्मिलित करने हेतु संयोजक को प्रेषित करें। बैंक एवं नाबार्ड अपनी सफलता की कहानी (Success Story), यदि कोई हो, तो उसे आगामी एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड में प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित करें।

(कार्रवाई -समस्त बैंक नियंत्रक / नाबार्ड / अग्रणी जिला प्रबंधक)

कार्य बिंदु संख्या - 10

प्रमुख सचिव (पर्यटन), उत्तराखंड शासन ने सभी बैंकों का आश्वस्त किया कि वीर चंद्र सिंह पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत दिनांक 30 सितम्बर, 2010 तक के सभी लम्बित अनुदान राशि 30 नवम्बर, 2010 तक बैंकों को प्रेषित कर दी जाएगी। अतः सभी बैंक लम्बित आवेदनों पर शीघ्र ऋण वितरित करें और यह जाँच कर लें कि अब कोई भी अनुदान राशि लम्बित नहीं है।

(कार्रवाई - निदेशक, पर्यटन / समस्त बैंक नियंत्रक)

कार्य बिंदु संख्या - 11

यह देखा गया है कि कई बैंकों को एस.एल.बी.सी. द्वारा बार-बार अनुस्मरण कराने के पश्चात भी त्रैमासिक आँकड़े नहीं प्राप्त होते हैं। यूको बैंक एवं एक्सिस बैंक के पिछली तिमाही, सितम्बर, 2010 तक के आँकड़े समय पर प्राप्त न होने के कारण, उनके जून, 2010 के आँकड़ों को पुनः सम्मिलित करना पड़ा था। सभी बैंक नियंत्रक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक, माह दिसम्बर, 2010 तक के एस.एल.बी.सी. के आँकड़ों का विवरण (SLBC Return 1 to 48), राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का दिनांक 20 जनवरी, 2011 तक ई-मेल (agmslbc.zodeh@sbi.co.in) द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि आगामी बैठक समय पर आहूत की जा सके।

(कार्रवाई - समस्त बैंक नियंत्रक / समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक)

****